

J. R. Singh (A/Secy)

22/11/24

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प.2(1)न्याय/2022

जयपुर दिनांक 20.11.2024

::अधिसूचना::

स्वायत्त औषधि और सनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, पूर्व में जारी अधिसूचनाओं दिनांक 04.02.1994 एवं 16.05.2016 की निरन्तरता में, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कप्रासन (चित्तौड़गढ़), कुम्हेर (भरतपुर), रायतसर (झुमनागढ़), खानुवाला (बीकानेर) एवं बालेसर (जोधपुर जिला) को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के बारे में अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, एवं उक्त न्यायालयों के पीठसीन अधिकारियों का उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,


20.11.24
(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

No. Gen./II/15/2024/1697

Date: 21.11.2024

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars/OSD, RHC Jodhpur/Bench Jaipur (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website),
2. concerned District & Sessions Judges
3. concerned courts
4. concerned CJMs,
5. AOJ Conf./ Statistics/ Budget/ Building/ SC Estt./ RJS Estt./ computer section.


21/11/2024
REGISTRAR (RULES)